बिड संख्या/Bid Number: GEM/2025/B/6879856
दिनांक /Dated: 12-11-2025

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	22-11-2025 15:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	22-11-2025 15:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	30 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Chhattisgarh
विभाग का नाम/Department Name	Raipur
संगठन का नाम/Organisation Name	Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Raipur
कार्यालय का नाम/Office Name	Jskb Ho Raipur
वस्तु श्रेणी /Item Category	Financial Audit Services - Audit report; CA Firm
अनुबंध अवधि /Contract Period	1 Year(s) 2 Day(s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	1 Year (s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Exemption for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Exemption for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No

बिड विवरण/Bid Details	
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	3 Days
अनुमानित बिड मूल्य /Estimated Bid Value	750000
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes

सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15

1. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price. The buyers are advised to refer to the OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023 for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.
3. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band as defined in the relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price.
4. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required

Number of Years of firm/company’sexistence as per ICAI certificate:yes

Number of years of experience as on date of which at least XX years should be in internal/external audit of companies, PSUs and centrally funded institutions.:yes

Number of full-time partners/experienced and qualified professionals in full time employment at senior level with experience in handling similar or relevant projects:yes

Number of partners/ qualified professionals in full time employment with DISA/CISA qualification:yes

Number of XX fulltime CA’s required and YY professional audit staff:yes

Price Breakup Format for the bidders to upload for providing break-up of overall project cost:1762865931.pdf

Financial Audit Services - Audit Report; CA Firm (1)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Scope of Work	Audit report

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
Type of Financial Audit Partner	CA Firm
Type of Financial Audit	Internal Audit
Category of Work under Financial Audit	Audit of financial statements , Internal control of financial , Investigating fraud , Compliance with law & regulations , Governance of company , Compliance with contracts , Risk Management , Bank Transactions , Internal Control over Financial Reporting , concurrent audit
Type of Industries/Functions	Purchase & Procurement , Sales, Services and Revenue , Inventory & Store management , Fixed assets, depreciation and amortisation , Operational & Administrative , Owners Capital , Cash and Bank Balance , Receivables , Payables
Frequency of Progress Report	Monthly
MIS Reporting for Financial Audit support	Yes
Frequency of MIS reporting	Monthly
State	NA
District	NA
एडऑन /Addon(s)	
Post Financial Audit Support	Yes

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	No

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

---

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	संसाधनों की मात्रा / To be set as 1	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Rajendra Chandrawanshi	492001,JILA SAHAKARI KENDRIY BANK MARYADIT RAIPUR, G.E. ROAD OPP LALGANGA SHOPING MALL RAIPUR C.G.	1	• Number of Months for which Post Audit Support is required : 12

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Buyer Added Bid Specific Scope Of Work(SOW)**

   Text Clause(s)

This is for Distric t Cooperative Ce ntral Bank Raipu r (C.G.) (21 bran ches of Raipur di strict)

1. H.O Raipur

2. NAWAPARA

3.TILDA

4. ARANG

5. KHARORA

6. GANJ (URKURA)

7. ABHANPUR

8. DHARSHIWA

9. SADAR BAZAR

10. CHANDKHURI

11. NEWMANDI

12. C.O.D RAIPUR

13.BHAINSA

14.SILYARI

15.CHAOUBEY COLONY RAIPUR

16. MANDIR HASOUD

17. SUNDAR NAGAR RAIPUR

18. RAMSAGAR PARA RAIPUR

19. KHARORA

20.BHATAGAON RAIPUR

21 .TARPONGI

NOT :- 1.The office of the tenderers should be in Chhattisgarh state.

2. Must be registered as a C.A. Association.

3. C.A or CA form should have experience certificate from D

istrict Cooperative Central Bank.

4.The CA or CA firm should not be blacklisted by Reserve B

ank of India / NABARD and Registered Cooperative Societies C.G.

2. **Certificates**

   Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for attached categories, trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
16. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
17. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

This Bid is governed by the सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT

पंजीयन क्रमांक 01 दिनांक 02.01.1913
मुख्य कार्यालय – रायपुर (छ0ग0)
Head Office – Raipur (C.G.)

S.T.D. Code : 0771
Head Off. : 4255400
H.O. : 4255425

क्रमांक/लेखा कक्ष/2025–26/No 11883 रायपुर, दिनांक 07 JUL 2025

निविदा हेतु नियम एवं शर्ते

––0––

बैंक के मुख्यालय एवं शाखाओं के वर्ष 2025–2026 हेतु (माह अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 12 माह हेतु) आंतरिक(सतत)(Concurrent Audit) मासिक अंकेक्षण हेतु चाटर्ड एकाउन्टेन्ट की निविदा मगाई गई है। इस हेतु विगत वर्ष रू 2510/–से 2550/– प्रतिमाह तक मात्र प्रति शाखा/मुख्यालय की फीस प्रदान की गई थी। उक्त फीस को ही बैंक द्वारा अनुमानित निर्धारित दर माना गया है। निविदा प्रत्येक जिले हेतु पृथक–पृथक बंद लिफाफे में दिया जाना है।(जिला बलौदाबजार एवं जिला सारंगढ बिलाईगढ़ हेतु निविदा एक साथ ही दिया जाना है।) लिफाफे के ऊपर ''आंतरिक अंकेक्षण वर्ष 2025–26 हेतु निविदा'', जिला............ के लिए तथा निविदा जमा करने वाली फर्म का नाम,पता एवं फोन/मो. नम्बर लिखा होना आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उसकी फर्म को निविदा में भाग लेने हेतु निम्न आर्हताओं का होना आवश्यक है।

1. चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसियेशन में रजिस्टर्ड होना ।
2. चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उसकी फर्म को किसी भी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का अंकेक्षण का अनुभव होना।
3. चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उसकी फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं(छ.ग.) के द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्ट न किया गया हो।
4. चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उसकी फर्म का मुख्यालय/आफिस छ.ग. के अन्दर हो।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
रायपुर (छ.ग.)

अंकेक्षण कार्य भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा अंकेक्षण हेतु दिये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप पूर्ण करना होगा। बैंक के मुख्यालय एवं शाखाओं के आंतरिक (सतत्) मासिक अंकेक्षण का मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होगें :-

1. **रोक राशि (केश)**:- इसके अंतर्गत शाखाओं में रखी गई नगद राशि एवं प्रतिभूतियों का सत्यापन मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा, के अंतर्गत राशि रखा जाना, शाखा द्वारा रखी गई नगद राशि पर तथा काउंटर ट्रांजिट पर पर्याप्त बीमा कव्हर, समय समय अंतराल पर नगद राशि का भौतिक सत्यापन , नगद लेन देन की जांच, असामान्य लेन देन का ब्यौरा प्रस्तुत करना, नगदी का संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना एवं केश से संबंधित लेखा पुस्तको की जांच। किसी बडे राशि के नगद भुगतान का ब्यौरा,इत्यादि।

2. **अन्य बैंको में बैंक का जमा शेष** :- अन्य बैंको मे बैंक की जमा राशि का प्रत्येक माह पर मिलान, प्रति वर्ष बैंको से बेलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना, समाधान पत्रक की जांच, समाधान, पत्रक की लंबित प्रविष्ठियों की जांच, लंबी अवधि से लंबिंत बडी अस्पष्ट/असमायोजित राशियों का विवरण, आकस्मिक नगद आहरण की जांच, अन्य बैंको के चल खाते में शाखा द्वारा आवश्यकता से अधिक राशि रखा जाना एवं उसके कारणों की जांच, शाखा द्वारा स्वीकृत लिमिट से अधिक नगद राशि रखा जाना, ऐसे मद जिन पर प्रबंधन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो इत्यादि।

3. **विनियोजन** :- लेखा पुस्तको में दर्ज प्रतिभूतियों का प्रतिमाह भौतिक सत्यापन,एवं प्रमाणीकरण आधिक्य राशि के निर्धारण की पद्धति, विनियोजन कमेटी का गठन एवं उसके निर्णय अनुसार बैंक विनियोजन, बैंक को लाभप्रद दरो पर प्रतिभूतियाँ खरीदी एवं बिक्री, परिपक्व एवं कालातीत विनियोजन जिनका भुगतान शेष हो विनियोजन का मूल्यांकन रिर्जव बैंक के निर्देशानुसार, विनियोजन पर नियमित रूप से ब्याज प्राप्ति किया जा रहा हो। बैंक द्वारा आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार प्रतिमाह एस.एल.आर., नॉन एस.एल.आर. एवं ट्रेजरी के लेनदेन एवं उनके भौतिक सत्यापन रख रखाव की जांच एवं प्रमाणीकरण करना एवं रिपोर्ट देना।

4. **ऋण एवं अग्रिम** :- सुनिश्चित करे कि ऋण , बैंक के ऋण नीति निर्देशों एवं निर्धारित मानदंडो के अनुसार ही स्वीकृत किये गये है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की स्वीकृति के विना कोई ऋण तो नही दिया गया। सुनिश्चित किया जावे कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हुए ऋण स्वीकृति के नियम एवं निर्देशो की पूर्ण किये बिना कोई ऋण वितरण नही किया गया हो। क्या ऋण स्वीकृति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज बैंक के पक्ष में अधिकृत कर पंजीबद्ध किये गये है। ऋण वितरण पश्चात ऋणों का समय समय पर्यवेक्षण एवं सतत निरीक्षण जैसे स्टाक स्टेटमेंट की प्राप्ति , किश्तों , साख सीमा का नवीनीकरण किया जाना। जांच करें कि ऋण का गलत उपयोग तो नही किया जा रहा है। अमानतों के विरूद्ध स्वीकृत ऋणों में क्या अमानतों पर ग्रहणाधिकार बैंक के पक्ष में प्राप्त किया गया है। क्या शाखा द्वारा जमानत के तौर पर बैंक के पक्ष में अधिकृत दस्तावेजो का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। अनाधिकृत रूप से निर्धारित सीमा से अधिक आहरण की अनुमति दिया जाना , ऋणों पर अपर्याप्त बीमा कव्हरेज, बीमा का नवीनीकरण, ऋण खातों से संबंधित दस्तावेजों एवं लेखा पुस्तकों के रख रखाव की जांच।

5. **स्टेशनरी** :- इसके अंतर्गत शाखा द्वारा समस्त स्टेशनरी सामग्री ,मियादी रसीदे, ड्राफ्ट बुक्स, पे आर्डर, चेक बुक्स, परमिट बुक, नगदी रसीदी बुक, रसीदी टिकट इत्यादि सामग्री सुरक्षित अभिरक्षा में

रखा जाना व समय – समय पर निगरानी प्रणाली की जांच। स्टॉक पंजी में उपलब्ध रसीदों, ड्राफ्ट बुक , पे आर्डर, इत्यादि का भौतिक सत्यापन।

6. आंतरिक नियंत्रण :– क्या शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार लेखा पुस्तकों का रख रखाव किया जा रहा है। तातारीख प्रविष्ठियां दर्ज किया जाना, खातों में शेष की जांच पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर , केश स्क्राल, केश बुक, जनरल लेजर, बुक बेलेंस का रख रखाव ,चेक कलेक्शन पंजी, चेक वितरण पंजी, ड्यु डेट पंजी, अनक्लेम डिपाजिट पंजी, चाबी (Key) पंजी एवं नाबार्ड द्वारा निर्धारित समस्त पंजीयों का रख रखाव, जनरल लेजर के अनुसार अन्य सहायक लेजर के बेलेंस का मिलान, मुख्यालय को निर्धारित समय में रिटर्नस का प्रेषण इत्यादि।

7. बिल्स पेयबल और सण्ड्री डिपाजिट :– बिल्स पेयबल, सण्ड्री डिपाजिट ,संस्पेंस, सेल अनपोस्टेड, बेलेंसिंग, बैच सस्पेंश, सिस्टम जनरेटेड खातों की जांच , असमान्य मद की राशि प्रवृत्ति का उल्लेख। डिमाण्ड ड्राफ्ट का भुगतान मिलान डी.डी. पेयबल खाते से करना इत्यादि की जांच एवं रिपोर्ट करना।

8. अंतर शाखा खाता/मुख्यालय समायोजन खाता :– शाखा द्वारा इस खाते का तातारीख रिकंसिलेशन पूर्ण करना, भुगतान हेतु शेष डिमांड ड्राफ्ट, पे आर्डर आदि का मिलान, प्रविष्ठियों का अवधिवार वर्गीकरण कर मिलान , जांच में पाई गई असामान्य प्रविष्ठियों की प्रवृत्ति एवं राशि की रिर्पोट मुख्यालय को करना।

9. अमानतें एवं Kyc :– इसके अंतर्गत लेन देन की जांच, अमानतों पर दी जाने वाली ब्याज दरें, अमानतों के ब्याज की गणना, शाखा द्वारा नये खातें खोलते समय रिर्जव बैंक के निर्देशो का पालन , शाखा द्वारा " **Kyc** " मानदंडो का पालन एवं अमानतों से संबंधित दस्तावेजों, खातों , लेखा पुस्तकों और संबंधित रिर्कार्डो की जांच। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि **(DEAF)** के अंतर्गत भेजे जाने वाली राशि भेजी जा रही है अथवा नही की जांच करना, खातों की जांच करना एवं प्रमाणित करना, शाखाओं के द्वारा KYC,CTR,STR,NTR एवं CCR की जांच प्रतिमाह साफ्टवेयर में की जाकर कार्य पूर्ण किया जा रहा है अथवा नही की जांच करना।

10. आय का अभिज्ञान, आरितयों का वर्गीकरण एवं प्रावधान :– आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधान नाबार्ड के मानदंडो के अनुरूप बैंक के शाखाओं द्वारा किया जा रहा है इसकी सूक्ष्मता से जांच, अतिदेय ऋणों की जांच, ऋण एवं अग्रिमों के वर्गीकरण की समिक्षा तथा हानियों के लिए प्रवधानो की पर्याप्तता एवं आस्तियों के वर्गीकरण पर अभिमत।

11. लाभ – हानि खाता :– इसके अंतर्गत शाखा द्वारा ऋण एवं अमानत खातों की ब्याज दरें , ब्याज गणना की जांच, कमीशन दरें, लाकर्स किराया, बिल्स डिसकाउंट इत्यादि की जांच, लेखा पद्धति में बदलाव के कारण, लाभ पर प्रभाव। अन्य व्यय खातों की जांच उपरांत आय में कमी के कारणों को ज्ञात करना एवं आय के क्षरण को रोकने के उपाय। आय व्यय खाते में किसी भिन्न प्रकृति का बडा मद तो नही है।

12. गबन/धोखाधडी :– प्रतिमाह जांच करे यदि जांच में किसी प्रकार के गबन/धोखाधडी का मामला प्रकाश में आये तो शीघ्र प्रथम सूचना मुख्य कार्यालय को देवे ततपश्चात पूर्ण विवरण अनिवर्यतः देवे।

13. **आडिट व निरीक्षण :–** क्या शाखा द्वारा समस्त आडिट/निरीक्षण टीप की पिछली आपत्तियों का निराकरण किया है। यदि गंभीर आपत्तियां निराकृत हो गई हो तो जानकारी दे, क्या शाखा द्वारा अपेक्स बैंक/नाबार्ड निरीक्षण में पाई गई विसंगतियों को दूर किया गया है।

14. **बैंक की समस्त आस्तियों एवं देयताओ का मूल्यांकन एवं सत्यापन।**

15. परिचालन में लेखा प्रणाली और आंतरिक मूल्यांकन तथा पाई गई कमियों को रिर्पोट करना।

16. लागू विधियों, विनिमयों, मार्गदर्शक निर्देशो, अनुदेशो के अनुपालन की समीक्षा एवं उल्लघंनो को रिर्पोट करना।

17. **बैंक के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन की पर्याप्तता (adequacy of compliance) की समीक्षा।**

18. वर्तमान में लागू प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वित नियमानुसार शाखाओं द्वारा पालन एवं संचालन विधिवत् पालन हो रहा है कि नही, जांच/समीक्षा करना।

19. शाखाओं द्वारा सिस्टम में कार्यो का निर्वहन तथा डेली रिपोर्ट की समीक्षा,एन.पी.ए. की जांच, वसूली हेतु दिये गये निर्देशों का पालन बैंक के नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नही की जांच/समीक्षा करना।

20. **जांच के प्रत्येक बिन्दुओं को (1) गंभीर (Serious) त्रुटि (2) बडी (Major) त्रुटि (3) समान्य (Normal/Minor) त्रुटि इन तीन भागों मे प्रदर्शित करना।**

21. **भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं पंजीयक के नियम एवं निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नही इसकी जांच करना एवं उलंघन होने पर रिपोर्ट करना।**

उपरोक्त उल्लेखित विवरण संपूर्ण एवं विस्तृत नही है अपितु सतत् अंकेक्षण में सहायक रूप में है। चयनित निविदाकर्ता फर्म/चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उनके समकक्ष प्रतिनिधि को **प्रत्येक माह** स्वयं शाखाओं में उपस्थित होकर उक्त कार्यो के साथ बैंक में हो रहे समस्त कार्य व्यवहार एवं विभिन्न प्रकार के कार्यो की जांच करना एवं आपत्तीजनक अथवा गलत पाये जाने पर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को लिखित में तुरन्त देना होगा। उपरोक्तानुसार मासिक अंकेक्षण टीप (LFAR) अनिवार्यतः प्रत्येक माह मासिक रूप से आगामी माह की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा। कार्य के वर्ष में सतत अंकेक्षण के पश्चात् किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्रकाश में आती है तो उसके लिए संबंधित चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उसकी फर्म जिम्मेदार मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
रायपुर (छ.ग.)

F:\New_folder\New folder (2)\Internal audit \internal audit to authorised doc"

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छत्तीसगढ